INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

IN-UP20625516354758V

Certificate No.	:	IN-UP20625516354758V
Certificate Issued Date	:	30-Dec-2023 07:50 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14256304/ RAEBARELI SADAR/ UP-RAB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14256304371641078711 35V
Purchased by	:	SHIV KARAN SINGH SO SUKHDEV SINGH
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHIV KARAN SINGH SO SUKHDEV SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHIV KARAN SINGH SO SUKHDEV SING
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

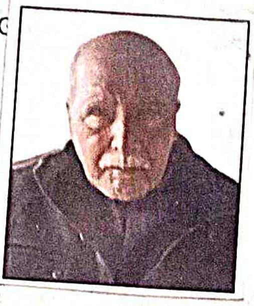

(घोषणा–पत्र)

मैं/हम.. सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ/देते हैं कि :–

(क)मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं हमअनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ केदिनॉक .... से 2 वर्षों के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्योंकेलिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते है।

(ख)मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्ही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबंधों का इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबंधों से जहॉ तक कि यहप्रयोज्य है बाध्य होने को सहमत हूँ/है।

(ग)मैं/हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसंहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोंक दें।

(घ)मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से परे है उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा।

ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात इस संहितामें वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती हैं

च) जमा योजना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नया परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नही है ऐसी दशा मे उसी परिवर्तक से उ0प्र0 पावर कार्पो0नि0लि0 द्वारा किसी दूसरे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनही होगी ।

छ)उपरोक्त कारणोवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन मे प्रयोग होने वाली निगम की सामग्री जिसका पैसा उ0प्र0पा0कार्पो0नि0लि0 के खाते मे पूर्व से ही जमा है सामग्री के मूल्य का किसी भी दशा मे मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नही किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नही होगा ।

(ज)उपभोक्ता को पूर्व मे स्थापित परिवर्तक से एल0टी0लाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नही लेना चाहता है ऐसीपरिस्थिति मे उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु छूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को जमा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नही होगी ।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय
लालगंज - रायबरेली

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.